एनएसडब्ल्यू फ़ैमिली एनर्जी (बिजली) रिबेट

आवेदन फ़ॉर्म: ख़ुदरा ग्राहक

यह फ़ॉर्म उन घरों में रहने वाले लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए है जो अपनी पसंद के बिजली के ख़ुदरा विक्रेता से बिजली का बिल प्राप्त करते हैं।

$180 / $20

एनएसडब्ल्यू फ़ैमिली एनर्जी रिबेट एनएसडब्ल्यू के उन घरों के एनर्जी के बिलों के खर्चों को वहन करने में सहायता करता है, जहाँ परिवार उन पर आश्रित बच्चों के साथ रह रहे हैं।

यदि आप अपना बिल सीधे अपने बिजली के ख़ुदरा विक्रेता से प्राप्त करते हैं और आप पात्रता के मापदंडों को पूरा करते हैं, तो आप फ़ैमिली एनर्जी रिबेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप पात्र हैं, तो आपको अपने बिजली के बिल पर एनएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ़ प्लानिंग, इंडस्ट्री एंड एनवायरन्मेंट से $180 तक का रिबेट प्राप्त होगा।

आवेदन करने का समय बुधवार 15 जून 2022 को रात 11 बजे समाप्त हो जाएगा।

आप www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-family-energy-rebate-retail-customers पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते/सकती हैं।

शुरू करने से पहले

इस आवेदन को भरने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित चीज़ें हैं:

- ☐ आपका ग्राहक रेफ़रेंस नम्बर सीआरएन (CRN) - सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया (Centrelink) द्वारा जारी किया गया)
- ☐ आपका व्यक्तिगत विवरण और संपर्क विवरण
- ☐ आपके बिजली के ख़ुदरा विक्रेता का विवरण और आपके खाते का विवरण।

जाँचसूची

पात्रता के मापदंड

इस रिबेट का पात्र होने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

- ☐ वर्तमान में आप एनएसडब्ल्यू में रह रहे हैं
- ☐ आपके मुख्य निवास स्थान पर बिजली की आपूर्ति करने वाले, आपकी पसंद के बिजली के ख़ुदरा विक्रेता के ग्राहक के रूप में बिजली का खाता आपके नाम पर होना चाहिए
- ☐ ऑस्ट्रेलियाई सरकार की सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए आपको फ़ेमिली टैक्स बेनिफ़िट (FTB) भाग ए या बी का पात्र निर्धारित किया है और उस पात्रता के आधार पर आपने 2020-21 में FTB का भुगतान प्राप्त किया है, **और**
- ☐ 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए आपने FTB प्राप्त किया है और सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया (Centrelink) ने आपको किए गए FTB के भुगतानों का मिलाप करके उन्हें अंतिम रूप दे दिया है।

एनएसडब्ल्यू फ़ैमिली एनर्जी (बिजली) रिबेट

आवेदन फ़ॉर्म: ख़ुदरा ग्राहक

महत्वपूर्ण जानकारी

आवेदन करने का समय बुधवार 15 जून 2022 को रात 11 बजे समाप्त हो जाएगा।

यदि आपके पास सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया का कन्सेशन कार्ड या हेल्थ केयर कार्ड है और आप फ़ैमिली एनर्जी रिबेट पाने के लिए पात्रता के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं, तो आपके रिबेट क्रेडिट पर $20 (ख़ुदरा ग्राहकों के लिए) की सीमा लागू होगी, क्योंकि आप एनएसडब्ल्यू लो इन्कम हाउसहोल्ड रिबेट के भी पात्र हैं। ख़ुदरा ग्राहकों के लिए हाउसहोल्ड रिबेट के बारे में अधिक जानकारी www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-low-income-household-rebate-retail-customers पर उपलब्ध है।

अधिक जानकारी

सर्विस एनएसडब्ल्यू की वेबसाइट www.service.nsw.gov.au/services/concessions-rebates-and-assistance पर जाएँ **या**

सर्विस एनएसडब्ल्यू को फ़ोन करें: 137 788

गोपनीयता का नोटिस

डिपार्टमेंट ऑफ़ प्लानिंग, इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट (डिपार्टमेंट) 4 Parramatta Square, 12 Darcy Street, Parramatta NSW 2150 में स्थित है और हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंधन *प्राइवेसी एंड पर्सनल इंफ़ोर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1998* के अंतर्गत करते हैं।

डिपार्टमेंट आपकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र कर रहा है ताकि वह एनर्जी में रिबेट के लिए आपके आवेदन को संसाधित कर सके, (इसमें आपकी पात्रता का निर्धारण करना शामिल है), यदि आप पात्र हैं तो आपको रिबेट का भुगतान कर सके, एनर्जी पर रिबेट की योजना को लागू कर सके और रिबेट कार्यक्रम को ऑडिट कर सके, इसमें ग्राहक के अनुभवों की जानकारी का सर्वेक्षण करना शामिल हो सकता है।

इस फ़ॉर्म को पूरा करने में आप किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इससे पहले कि आप डिपार्टमेंट को यह जानकारी प्रदान करें, आपको उस व्यक्ति की जानकारी डिपार्टमेंट को देने और इस गोपनीयता के नोटिस के अनुसार डिपार्टमेंट द्वारा इसका प्रयोग किए जाने के लिए उस व्यक्ति की सहमति लेनी होगी।

यह निर्धारित करने के लिए कि आप रिबेट के पात्र हैं या नहीं, डिपार्टमेंट आपका CRN या DVA नंबर सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया को देगा। डिपार्टमेंट रिबेट का ऑडिट करने में लगे किसी तीसरे पक्ष को भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी दे सकता है। डिपार्टमेंट आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी और को तब तक नहीं बताएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उसे कानून द्वारा अधिकृत न किया गया हो।

इस रिबेट के लिए आवेदन करना स्वैच्छिक है। लेकिन, यदि आप आवेदन करते हैं तो, जब तक कि कोई अन्य टिप्पणी न लिखी हो, आपके आवेदन को संसाधित करने के लिए डिपार्टमेंट द्वारा आपसे माँगी गई सारी व्यक्तिगत जानकारी आपको डिपार्टमेंट को देनी होगी।

डिपार्टमेंट के पास आपके बारे में जो व्यक्तिगत जानकारी है, आपको उसे प्राप्त करने का अधिकार है। आपको इस बात का अनुरोध करने का भी अधिकार है कि डिपार्टमेंट उस जानकारी को नवीनतम या संशोधित करे। अधिक जानकारी के लिए rebates@energysaver.nsw.gov.au पर ईमेल भेजें।

एनएसडब्ल्यू फ़ैमिली एनर्जी (बिजली) रिबेट

आवेदन फ़ॉर्म: ख़ुदरा ग्राहक

इस फ़ॉर्म को भरना

- कृपया फ़ॉर्म को अंग्रेजी में भरें और बड़े अक्षरों (CAPITAL letters) का प्रयोग करें।
- आवेदक का नाम आपके 2020-21 के FTB से संबंधित पत्र-व्यवहार पर लिखे हुए नाम **और** आपके बिजली के बिल पर छपे हुए नाम से मिलना चाहिए।
- आवेदन में दिया गया पता, आवेदक का मुख्य निवास स्थान होना चाहिए।

आवेदक का विवरण

सीआरएन-CRN (सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया):
नाम का पहला शब्द:
कुलनाम:
आवास का पता:
सबर्ब:
पोस्टकोड:
संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर:
ईमेल का पता:
डाक का पता (यदि गली के पते से भिन्न है):
सबर्ब:
पोस्टकोड:

बिजली के ख़ुदरा विक्रेता का विवरण

बिजली के ख़ुदरा विक्रेता का नाम:
बिजली के खाताधारक का नाम:
बिजली के खाते का नम्बर:
राष्ट्रीय मीटर की पहचान का (NMI) नम्बर:

आपका NMI नंबर आपके बिजली के बिल पर लिखा होता है। यह अंक 4 से शुरू होता है और इसमें 11 अंक होते हैं, लेकिन कोई अक्षर या चिह्न (symbols) नहीं होता है। यदि आपको अपना NMI नंबर बिल पर नहीं मिल रहा है तो कृपया इस आवेदन के साथ अपने पूरे बिल की प्रति भेजें और हम आपके लिए NMI नंबर लिख देंगे।

एनएसडब्ल्यू फ़ैमिली एनर्जी (बिजली) रिबेट

आवेदन फ़ॉर्म: ख़ुदरा ग्राहक

किसी व्यक्ति के लिए आपकी ओर से कार्य करने की सहमति (वैकल्पिक)

इस अनुभाग को सिर्फ़ तभी भरें यदि आप चाहते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति इस आवेदन के संबंध में आपकी ओर से कार्रवाई कर सके।

☐ मैं, को अधिकृत करता हूँ जिससे निम्नलिखित बातों के लिए

फ़ोन से पर संपर्क किया जा सकता है:

- इस आवेदन को संसाधित करने में सहायता करने के लिए वह मेरी ओर से डिपार्टमेंट से बात कर सके
- इस आवेदन को संसाधित करने में सहायता करने के लिए इस फ़ॉर्म में प्रदान की गई किसी भी जानकारी को स्पष्ट करके बता सके।

☐ मैंने उपरोक्त नामित व्यक्ति से इस बात की पुष्टि कर ली है कि वह मेरी ओर से कार्रवाई करने के लिए सहमत हैं और मैंने उन्हें बता दिया है कि उनकी जानकारी को इस फ़ॉर्म में दिए गए गोपनीयता के नोटिस के अनुसार एकत्र किया जाएगा और उसका प्रबंधन किया जाएगा।

☐ मैं समझता/समझती हूँ कि मैं एनर्जी रिबेट टीम से 02 8073 9255 पर या rebates@energysaver.nsw.gov.au पर संपर्क करके किसी भी समय अपनी इस सहमति को वापस ले सकता/सकती हूँ।

आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा और अधिकार देने के बारे में वक्तव्य

मैं (नाम लिखें), (निवास के प्रमुख स्थान

का पता लिखें) का/की निवासी :

- मैंने इस आवेदन फ़ॉर्म में दी गई सभी जानकारी, जिसमें जाँचसूची और गोपनीयता का नोटिस शामिल हैं, पढ़ और समझ ली है
- घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारी, मेरे ज्ञान के अनुसार, सत्य और सही है
- मैं समझता/समझती हूँ कि डिपार्टमेंट सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया में पूछताछ करने के लिए सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया की इ-सर्विसेज़ (eServices) का इस्तेमाल करेगा और सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया में मेरे ग्राहक विवरण और कन्सेशन कार्ड की स्थिति की जाँच करेगा, जिससे डिपार्टमेंट यह निर्धारित कर सके कि मैं रिबेट पाने के लिए पात्र हूँ या नहीं।
- मैं समझता/समझती हूँ कि इस बात की पुष्टि करने के लिए कि मैं उस ख़ुदरा विक्रेता का/की वर्तमान ग्राहक हूँ, डिपार्टमेंट मेरे ख़ुदरा विक्रेता से संपर्क करेगा और इस फ़ॉर्म में भरी गई सारी जानकारी मेरे ख़ुदरा विक्रेता को देगा।

संपर्क करने के लिए सहमति (वैकल्पिक)

☐ मेरी सहमति है कि रिबेट के लिए आवेदन करने के मेरे अनुभव के बारे में जानने के लिए डिपार्टमेंट मुझसे संपर्क कर सकता है।

पॉवर ऑफ अटॉर्नी (जब आवेदन पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी केअंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं)

☐ मैंने इस आवेदन केसाथ पॉवर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

आवेदक के हस्ताक्षर: **दिनांक:**

इस फ़ॉर्म को जमा करना

भरे हुए फ़ॉर्म को rebates@energysaver.nsw.gov.au पर ईमेल से भेजें **या**

भरे हुए फ़ॉर्म को NSW Family Energy Rebate, PO Box 435, Parramatta NSW 2124 -पर डाक से भेजें। यदि आप फ़ॉर्म को डाक से भेज रहे हैं**, तो दस्तावेज़ों पर स्टेपल पिन या स्टिकी टेप न लगाएँ।**